भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2791

(जिसका उत्तर मंगलवार**, 2**5 मार्च**, 2025/**04 चैत्र**, 194**7 **(**शक**)** को दिया जाना है**)**

राजकोषीय घाटे को कम करना

2791. श्री हरीस बीरन:

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

श्री नीरज डांगी:

श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में यह कितना है;

(ख) पर्याप्त सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटे के स्तरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऋण वहनीयता के संबंध में कोई प्रभाव आकलन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 के लिए क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत है। राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 वित्त वर्ष 2020-21 तक 3 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए राजकोषीय घाटे को लक्षित करता है।

(ख) और (ग) वित्त वर्ष 2020-21 में 9.2 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के उच्च राजकोषीय घाटे से सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा कम होकर 4.4 प्रतिशत रह गया है जैसा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में संभावित है। इसी अवधि के दौरान, अन्य मुद्दों के साथ-साथ, व्यय के कुशल लक्ष्यीकरण, उत्पादनकारी पूंजीगत व्यय पर अधिक बल आदि के माध्यम से प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय और सहायता-अनुदान का योग) ₹6.57 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2020-21 का वास्तविक) से बढ़कर ₹15.48 लाख करोड़ (बजट अनुमान 2025-26) हो गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के तहत यथा अपेक्षित राजकोषीय नीति (फरवरी, 2025) के विवरण संसद में प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ ऋण वहनीयता के प्रभाव मूल्यांकन को शामिल किया गया है। इस दस्तावेज़ को भारत की बजट वेबसाइट (https://www.indiabudget.gov.in/doc/frbm1.pdf) पर भी एक्सेस किया जा सकता है।

*****